भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य

- संविधान का पालन करें, और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें।
- स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोय रखें पालन करें।
- भारत की प्रभुता, एकता, और अखण्डता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें।
- देश की रक्षा करें और आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें।
- भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरूद्ध हैं।
- हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें।
- प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंर्तगत वन, झील, नदी और अन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्द्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें।
- वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें।
- सार्वजनिक संपति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें।
- व्यक्तिगत और सामुहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न से उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू लें।
- जो माता-पिता या संरक्षक हों, वह छः से चौदह वर्ष की आयु के यथास्थिति, अपने बच्चे अथवा प्रतिपालय को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा।